म.प्र. जन अभियान परिषद्

(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन)

राजीव गांधी भवन, द्वितीय खण्ड, श्यामला हिल्स, भोपाल

//विज्ञप्ति//

म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा "सृजन योजनान्तर्गत पांरपरिक देशज ज्ञान-विज्ञान कौशल कला, साहित्य व खेलो के संरक्षण एवं संवर्धन" हेतु वर्ष 2022-23 मे प्रदेश के समस्त जिलों के इस क्षेत्र से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों से परियोजना प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते है।

सृजन योजना का विवरण, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन फार्म परिषद् के राज्य/संभाग/जिला कार्यालय अथवा परिषद् की वेबसाईट www.mpjap.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन समस्त दस्तावेज एवं परियोजना आलेख प्रस्ताव सहित दिनांक 30 नवम्बर, 2022 सायं 05:30 बजे तक स्वयं या रजिस्टर्ड/स्पीड डाक/कूरियर के माध्यम से निर्धारित आवेदन प्रपत्रों में स्वीकार किया जायेगा।

(डॉ. प्रवीण शर्मा)
प्रभारी प्रशासन
म.प्र. जन अभियान परिषद्
संपर्क न. :- 0755-2660203,
2660235

''सृजन योजनांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु अर्हतायें, शर्तें एवं नियम''

सृजन योजनांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु समेकित नियम निम्नानुसार हैं:-

1. नियम:-

1.1 संस्था को म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा व संस्था का पंजीयन तथा कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश मे होना अनिवार्य है। संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1.2 संस्था फर्म्स एवं सोसायटीज अधिनियम मे 3 या अधिक वर्ष से पंजीकृत हो।

1.3 संस्था द्वारा प्रतिवर्ष ऑडिट कराया गया हो तथा गत तीन वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1.4 संस्था की संचालक मण्डल मे एक ही परिवार के दो तिहाई अथवा अधिक सदस्य न हो।

1.5 संस्था म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत तथा किसी भी धारा मे दण्डित न की गई हो।

1.6 संस्था को शासन/किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/शासकीय उपक्रमों/डोनर एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित न किया गया हो।

1.7 शासन के किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना होगा।

1.8 ऐसी संस्था जो निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करती है उसे प्रथम दृष्टतः अपात्र माना जायेगा।

1.9 संस्थाओं के चयन में संबंधित जिले में कार्यरत स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

1.10 विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु चिन्हांकित संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. प्रक्रिया - स्वंयसेवी संस्थाओं का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। प्राप्त प्रस्तावों में से चयन हेतु योग्य प्रस्तावों की पहचान करने का कार्य राज्य स्तर पर स्क्रूटनी समिति/विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जावेगा।

चयन संबंधी किसी प्रकार के विवाद का निपटारा कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा किया जायेगा।

3. संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी का भौतिक सत्यापन -

3.1 विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आवेदन प्रपत्र के माध्यम से दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन संबंधित जिले के जिला समन्वयक अथवा विकासखण्ड में कार्यरत विकासखण्ड समन्वयक द्वारा किया जायेगा।

3.2 आवश्यकता पड़ने पर राज्य कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

4. कार्य प्रगति का आंकलन : चयनित संस्थाओं के द्वारा प्रस्ताव अनुसार की गई प्रगति एवं परिणाम का प्रत्येक छहः माह में विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जावेगा।

5. राशि (बजट) :

- परियोजना प्रस्ताव की सीमा 01 अथवा 02 वर्ष की होगी।
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित संस्था/समिति को उनके परियोजना प्रस्ताव की राशि का 50 प्रतिशत (अधिकतम राशि रू. 05 लाख तक) अनुदान राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
- एक वर्ष की समय सीमा वाले प्रस्ताव हेतु अधिकतम राशि रू. 03 लाख मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रावधानित किए गए है।
- 02 वर्ष की समय सीमा वाले प्रस्ताव हेतु अधिकतम राशि रू. 05 लाख मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रावधानित किए गए है।
- विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित राशि का आवंटन निम्नानुसार किया जावेगा|

1 वर्ष की समय सीमा वाले प्रस्ताव-

- प्रस्ताव स्वीकृत होने पर विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत भाग प्रथम किश्त में आंवटित किया जावेगा।
- छहः माह पूर्ण होने पर विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रगति का प्रस्तुतीकरण करने पर राशि का 30 प्रतिशत भाग आंवटित किया जावेगा।
- परियोजना की समय सीमा पूर्ण होने पर विशेषज्ञ समिति के समक्ष परिणामों का प्रस्तुतीकरण करने तथा विस्तृत अंतिम प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय पत्रक (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी) प्रस्तुत करने पर शेष 20 प्रतिशत भाग आंवटित किया जावेगा।

2 वर्ष की समय सीमा वाले प्रस्ताव-

- प्रस्ताव स्वीकृत होने पर विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत भाग प्रथम किश्त में आंवटित किया जावेगा।
- संस्था द्वारा प्रत्येक छहः माह में विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।
- 1 वर्ष पूर्ण होने पर विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रगति का प्रस्तुतीकरण करने पर राशि का 30 प्रतिशत भाग आंवटित किया जावेगा।
- परियोजना की समय सीमा पूर्ण होने पर विशेषज्ञ समिति के समक्ष परिणामों का प्रस्तुतीकरण करने तथा विस्तृत अंतिम प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी) प्रस्तुत करने पर शेष 20 प्रतिशत भाग आंवटित किया जावेगा।
- राशि का उद्देश्यों के अनुरूप उपयोग नहीं करने पर अथवा समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेंगी।

6. आवेदन एवं प्रस्ताव संस्था अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अथवा अग्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

7. उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप

म.प्र.जन अभियान परिषद्
सृजन योजना
उपयोगिता प्रमाण-पत्र

संस्था का नाम :-.....

वर्ष (जिसके लिये चयन किया गया).....

जिला (जिसके लिये चयन किया गया) .....

संभाग .....

पता:- .....

किश्त (प्रथम) ..... अनुदान राशि रु. .....

1. प्रमाणित किया जाता है कि प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित राशि में से प्रदाय किश्त (प्रथम)..... की राशि रुपये.....अनुदान के रूप में जिला स्तरीय संस्था (संस्था का नाम) .....को म.प्र. जन अभियान परिषद्, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा चेक क्रमांक .....दिनांक ..... के माध्यम से आवंटित/हस्तांतरित की गई थी। उक्त राशि में से राशि रुपये.....का व्यय किया जाकर शेष राशि रुपये .....उपलब्ध है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि जो अनुदान संस्था को प्रदान किया गया था उसका उपयोग अनुबंध एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया गया है। अनुदान का वास्तविक उपयोग जिन प्रस्तावित कार्यों के लिये था, उन्ही कार्यों में व्यय किया गया हैं।
3. परियोजना का व्यय-विवरण (Statement of expenditure) संलग्न करें।

सनद लेखाकार द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
अध्यक्ष/सचिव
जिला -

म.प्र. जन अभियान परिषद्, भोपाल

सृजन योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों हेतु आवेदन प्रपत्र

1. सामान्य जानकारी :-

1.1 संस्था का नाम :- .....

1.2 पंजीयन क्रमांक व दिनांक :- .....

1.3 पंजीकरण अधिनियम का नाम जिसके अंतर्गत पंजीयन कराया गया **(संलग्न करें)** :-.....

.....

1.4 पंजीकृत पता :- .....

राज्य/जिला :- .....पिन .....

फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) :- .....

फेक्स नम्बर :- .....ई-मेल .....

वेबसाईट :- .....

1.5 वर्तमान पता :- .....

राज्य/जिला :- .....पिन .....

फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) :- .....

फेक्स नम्बर :- .....ई-मेल .....

वेबसाईट :- .....

1.6 म.प्र. जन अभियान परिषद् मे स्वैच्छिक संगठन/संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक **(संलग्न करें) :-.....**

1.7 संस्था का अध्यक्ष का नाम एवं संपर्क नम्बर :- .....

आधार नम्बरः- .....

संस्था के सचिव का नाम एवं संपर्क नम्बर :- .....

आधार नम्बरः- .....

1.8 संस्था के बैंक खाते की जानकारी –

संस्था का खाता क्रमांक -.....

खाताधारक का नाम -.....

बैंक एवं ब्रांच का नाम - .....

आईएफएससी कोड - .....

1.9 संस्था का कार्यक्षेत्र (संभाग/जिला/विकासखण्ड) कृपया विवरण दे :- .....

क्र.	राज्य	जिलों के नाम	ग्राम/शहरो की संख्या	विषय क्षेत्र

1.10 अन्य महत्वपूर्ण पंजीयन (यदि हो तो)**(संलग्न करें)**:-

क्र.	अधिनियम/धारा का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	पंजीयन वैधता दिनांक तक
1	इनकम टैक्स अधि. धारा 12 ए		
2	इनकम टैक्स अधि. Ten No		
3	इनकम टैक्स अधि. Pan No		
4	इनकम टैक्स अधि. धारा 80जी		
5	अन्य (विवरण दे.....)		

1.11 क्या संस्था द्वारा पंजीकरण अधिनियम के नियमो/विनियमों के अनुसार वांछित जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस मे जमा की जाती है? हॉ/नही .....

1.12 क्या संस्था स्वयंसेवी संस्थाओं के किसी नेटवर्क/फंडरेशन से संबंध रखती है? हॉ/नहीं यदि हां तो कृपया विवरण दे :-.....

.....

.....

.....

2. संस्था की दृष्टि, लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

2.1 क्या संस्था की दृष्टि लक्ष्य तथा उद्देश्य परिभाषित है? यदि हॉ/नहीं यदि हां तो कृपया विवरण दे:-

.....

.....

.....

दृष्टि (Vision) :- .....

.....

.....

.....

लक्ष्य (Mission) :- .....

.....

.....

.....

उद्देश्य (Objectives):- .....

.....

.....

.....

3. संचालक मण्डल :-

3.1 संस्था की साधारण सभा मे कुल सदस्यों की संख्या :- .....

3.2 संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण (आवश्यकता होने पर पृथक से पृष्ठ संलग्न करें) :-

क्र.	नाम	पद	पता (फोन न. तथा ई-मेल सहित)	आयु	लिंग	वर्ग (सामान्य/अ.पि.व./अनु.जा./अ.ज.जा.)	शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	विकासात्मक क्षेत्र मे अनुभव (वर्षो में)	अन्य सदस्य के साथ यदि खून का रिश्ता है तो स्पष्ट करें

3.3 कार्यकारिणी समिति की सदस्यता किस तरह प्राप्त की जाती है?

नामाकंन द्वारा .....चुनाव द्वारा ..... दोनो से .....

3.4 संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें कितने अंतराल मे की जाती है?

.....

4 गतिविधियाँ :-

4.1 संस्था द्वारा गत वित्तीय वर्ष मे संचालित की गई परियोजनाओं/गतिविधियों का विवरण:-

क्र.	परियोजना का नाम	प्रमुख गतिविधियां	नापे जाने योग्य सूचकांक	समय सीमा	वित्तय पोषण प्रदान करने वाली संस्था/विभाग का नाम	क्रियान्वयन का भौतिक क्षेत्र	हितग्राही	कुल प्राप्त राशि	परिणाम (सूचकांकों के विरूद्ध)	परियोजना समाप्त होने की तिथि

(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग कर तालिका अनुसार विवरण दे)

4.2 संस्था द्वारा किये गये नवाचार/अन्य उल्लेखनीय कार्य का विवरण :- .....

.....

.....

(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करें)

5. मानव संसाधन प्रबंधन एवं नीति :-

5.1 संस्था मे कार्यरत कर्मचारियों की संख्या :- .....

5.2 संस्था के साथ स्वैच्छिक रूप से जुडे स्वयं सेवकों की संख्या :-.....

6. वित्तीय संसाधन एवं जवाबदेही :-

6.1 क्या संस्था का कार्यालय स्वयं/किराये के भवन मे संचालित है? (स्पष्ट करें) :- .....

.....

6.2 विगत तीन वित्तीय वर्ष में चार्टड लेखाकार से प्रमाणित आय एवं व्यय का विवरण **(संलग्न करें)**

वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21	
आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय

6.3 वित्तीय सहयोग के प्रमुख स्त्रोत के नाम

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

6.4 क्या संस्था द्वारा प्रत्येक लेनदेन की प्रविष्टि की जाती है ? हॉ/नहीं .....

6.5 क्या संस्था के लेखा का अंकेक्षण नियमानुसार किया जाता है? हॉ/नहीं .....

6.6 लेखा के किन्ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गत वर्ष कोई गंभीर आपत्ति प्रगट की गई? हॉ/नहीं .....

यदि हॉ तो विवरण दे .....

.....

7. पारदर्शिता एवं उपलब्धियॉ :-

पारदर्शिता:-

7.1 क्या संस्था द्वारा साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के संबंध मे विविध जानकारी (संरचना/ सदस्यों का विवरण/सदस्यों को देय राशि की जानकारी) आदि सार्वजनिक तौर पर (प्रतिवेदन/ वेबसाइट/अन्य प्रकार से) दी जाती है? हॉ/नहीं यदि हॉ तो स्पष्ट करें .....

.....

7.2 क्या संस्था द्वारा वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन स्टेक होल्डर्स/जुडे हुये सदस्यों/इच्छुक व्यक्ति को/सार्वजनिक स्तर पर (वेबसाईट) उपलब्ध करवाया जाता है? हॉ/नहीं यदि हॉ तो स्पष्ट करें

.....

उपलब्धियॉ :

7.3 क्या संस्था को किसी प्रकार का प्रोत्साहन/प्रशंसा प्रमाण-पत्र/पुरूस्कार प्राप्त हुआ हॅ ? हॉ/नहीं यदि हॉ तो वैधता दिनांक का उल्लेख करते हुए विवरण दें एवं छायाप्रति संलग्न करें .....

.....

7.4 अन्य आवश्यक जानकारी .....

.....

नोट : आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करें।

सूचना दाता के हस्ताक्षर :-

नाम :-

पद :-

दिनांक :-

परियोजना/कार्यक्रम के प्रस्ताव का आलेख

1. **परियोजना/ कार्यक्रम का शीर्षक :-**
2. **परियोजना का उद्देश्य :-**

   (समस्याओं का विवरण और व्यावहारिक प्रासंगिकता होना) (विशेष रूप से 150 शब्दों में)

3. **विस्तृत योजना: (लगभग 1,500 शब्दों में)**
   - पूर्व मे इस तरह का कार्य किया गया हो, यदि कोई हो।
   - योजना का अध्ययन/सर्वेक्षण और डाटा प्रोसेसिंग आदि की रूप रेखा।
   - परियोजना का वैज्ञानिक/तकनीकी महत्व।
     (ए) पायलट अध्ययन (बी) डेटा संग्रह (सी) डेटा प्रोसेसिंग जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम का चरणबद्ध होना।
   - परियोजना प्रांरभ करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित विधियां।
   - प्रस्तावित जांच के संभावित प्रभाव के साथ औचित्य (क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर वैज्ञानिक/तकनीकी/औद्योगिक/समग्र कल्याण/क्षमता का सृजन)
   - कोई अन्य बिंदु
   - फंड की आवश्यकता (लागत बजट)

4. **गतिविधि :-**
5. **कार्यक्षेत्र :-**
6. **क्रियान्वयन विधि/शोध एवं तकनीकि समावेश :-**
7. **विषय वस्तु का स्त्रोत :-**
8. **हितग्राही वर्ग :-**
9. **परियोजना पर कुल व्यय :-**
10. **व्यवसायिक सम्भावनाऐं :-**
11. **अनुमानित बजट**

(अ) गैर-आवर्ती उपकरण (कृपया तीन कोटेशन संलग्न करें)

स.क्र.	उपकरण का नाम	उपकरण की विशिष्टता	उपकरण की ईकाई	अनुमानित लागत
1				
2				

(ब) पुनरावर्ती

स.क्र.	वस्तु	बजट			योग
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग
1	शोध व्यक्ति (Resource Person) का नाम				
2	सामग्री उपभोग				
3	यात्रा व्यय				
4	प्रकाशन/प्रिंटींग				
5	अन्य				
योग					

- आकस्मिकता/प्रांसगिकता का औचित्य
  (कृपया उपयोग की जाने वाली राशि को उल्लेखित करें)
- उपकरण के लिए अनुदान का औचित्य
- अनुमानित लागत वाले उपकरणों के नाम/विनिर्देश और इस परियोजना के संदर्भ में इसके उपयोग के बारे में बताए।

12. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव संलग्न करें।

Declaration/Undertaking

मैं/हम घोषणा करता/करती/करते है कि शोध परियोजना अनुदान हेतु दी गई समस्त शर्ते एवं नियम से पूर्णत: सहमत है एवं संस्था को ग्राह्य एवं लागू रहेगी।

संस्था अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत व्यक्ति